

// इलाहाबाद विकास प्राधिकरण //

नंबर : 115/प्र०अ०-भवग/जोग-1/2010-11 दिनांक 29/06/2013

अनुमति-पत्र

वह अनुमति उत्पन्न नगर नियोजन वाले विकास अधिकारी 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाते हैं, जिन्हें अर्थात् न समझाया जाएँगे कि उस भूमि के स्वरूप में जिस पर प्रस्तावित व्यवसायिक वर्क्षन ग्रान्चित रखने की वा उस पर किसी प्रकार का विकास या इकान उत्पादन वा उत्पादनीय उत्पादन की विकासी वा उत्पादनीय उत्पादन के अधिकारी विकासी की विकासी का शोड असर पड़ने वाली वाली अनुमति दिलाई जाती है।

श्री गोदूल जादवानी, श्री गोहन जादवानी, श्री लिलेन्ज जादवानी, श्री राजेन्द्र जादवानी, श्री लोगेन्द्र जादवानी, श्री संजय जादवानी उत्पादन भूमि की छोड उप-दिग्निया नूबरुड राख्या-30/3, 30/5 डिविल स्टेशन, इलाहाबाद जौन स्कॉल (H) दे अन्तर्गत व्यवसायिक भवन नियोग वी अनुमति हेतु विविध ग्रान्चनामकरण के उत्पादन भवन पर विभिन्न वी अनुमति दिलाई जाती है :

1. उत्पन्न नगर नियोजन एवं प्र०अ० अधिकारी 1973 की धारा 16 (1) के प्राविधिकार के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पर आवाहन होने के बाद यह दो लाइसेन्स/अप्रैलेंग लेणा जाता है, अन्त निर्माण एवं विकास द्वापाराके 2008 में उपविधि राख्या-21.8 एवं 31.8 में नियोजित प्रक्रिया एवं कर दृष्टि प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह अनुमति आवृत्ति (Provisional) स्थिति के लागे दी जाती है। नियोग पूर्ण होने के बाद यह विविध व्यवसायक Mandatory Clearances/N.O.C से अन्त भूमि कर्ते हो परिवार, नियोग द्वारा जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस विसिट वो वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. रखने पर 400 फिट के एक तोड़ लगाकर स्थिति समझी दिलाई आवृत्ति करने होगी।
4. खाले पर 31 अक्टूबर तक लगाने होंगे तथा इन्हें के हर-मास रखने का दायित्व आवेदिका का छोड़ा।
5. खाले का अप्रैलेंग/दफवांग न्यूबुड प्रसारण के अनुसार ही करना होगा, अन्यथा वह फैसले से मन्दिर नियोजन समझ जायेगा।
6. याकौं खाले पर कोई नियोग देशदा वैशिष्टिक अनुमति नहीं होता। याकौं रखने समेत अन्यान्य काम रखने की जगह।
7. याकौं न्यूबुड कोई खाले होने वाले द्वारा देने वी आवृत्ति हो। याकौं वी अन्योग व्यवसाय की नियोग के लिए होती है। खाले का व्यवसाय स्थानीय लोकों वी विद्युत वा गान्धीजी व्यवसाय वी नियोजन का लाभ।
8. यदि आविधि 16 कोई व्यवसायी भूमि त्रिपायी वी है अथवा गल्ला शूब्द वी गयी है तो ज०८० नगर नियोजन एवं विभाग अधिकारी 1973 की धारा 16 (1) के अन्तर्गत विकास दिलाई कराये जायेगा।
9. यह अनुमति व्यवसाय के बारे वी आवृत्ति के लिए है।
10. यह या नियोग के दिन वाली के पहली वाला रखने या नाली के पहली वाला (जो ग्रान्च के लाया गया, युक्त नगर विभाग द्वारा दी गई हो) के दिन पहुँचे तो उत्पादनीय विधियां वी जाने पर 16 दिन के भीतर अधिक यदि विकास ग्रान्चिकरण एवं लैखित द्वचास द्वारा शीघ्र कर तो पहली ही दिन अपने खाले के गल्लात लगाकर प्र०अ० वास्तविक विकास विकास ग्रान्चिकरण के संतोष हो जाय, मैं कर देगा।
11. यह नियोग द्वारा उत्पादन वी अधिकारी 1973 की विधियां विद्युत विधियां 1950 (इलाहाबाद इलेक्ट्रिसिटी ब्लॉक 1950) नियोग 82 का विकास विकास वी द्वारा वी न होना चाहें यदि योग विकास वी जानकारी वी देते गल्ला लगाने परी तो यह ऐसा नियोग को रोक विधान रखना याकौं है।
12. यदि ग्रान्चिकरण का लाग-प्रियांन अध्यया पार्क एवं रोड इन्फ्रारिक का अधिकारा विकास विकास वी द्वारा दिया जाता है तो इसीलिए 1950 नियोजन एवं विकास अधिकारी 1973 की युरोगां घासों के कानूनीता पार्वतीही दी जाएगी।
13. आवेदक के नियोगानुसार विकास प्राविधिक वाले विकास वी नीव तक रखा छत तक बन जाने एवं उत्पादक ग्रूप दो जाने हो सूखना ब्लॉक नाथाव होने से पूछ देना जीवा तथा उस आदर्दी दया नाम वी देना होगा विकास विनियोग में नकारा नियोग होता है।
14. यदि नियोग वी गार्डर लगाने वी उत्पादन वी वाया भी तो नियोगकर्ता की दी अद्य स्थिति रख स्वयं वाली वी विकास व्यवसाय अनुमति देवित कर उत्तर विवेदित वी अध. 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाली आवश्यकी वी जायेगी।

(राजेन्द्र जादवानी)
राजेन्द्र जादवानी
29/06/2013
इलाहाबाद

(गोदूल जादवानी)
गोदूल जादवानी
राजेन्द्र जादवानी/प्र०अ०-वाया
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद

